

- यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं, तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर्क कर लेना करना चाहिये ताकि जुलूस में आपसी टकराव न हो।
- राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है।
- चुनाव के दिन:
 - केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति होती है।
 - मतदान केंद्रों पर सभी अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैज अथवा पहचान पत्र दिया जाना चाहिये।
 - उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज़ पर होगी और उसमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम अथवा पार्टी का नाम नहीं होगा।
- परेक्षक:
 - कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रपिर्ट चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को कर सकता है।
- सत्ताधारी पार्टी:
 - MCC ने सत्ताधारी पार्टी के आचरण को वनियमिति करते हुए वर्ष 1979 में कुछ प्रतिबंधों को शामिल किया। मंत्रियों की आधिकारिक यात्राएँ और चुनाव कार्य पृथक होने चाहिये अथवा चुनाव कार्य के लिये आधिकारिक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये।
 - पार्टी को सरकारी संसाधनों की कीमत पर वजिज़ापन देने अथवा चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये उपलब्धियों के प्रचार हेतु आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिये।
 - आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा किये जाने के समय से मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिये, सड़कों के निर्माण, पीने के जल की व्यवस्था आदि का वादा नहीं करना चाहिये। अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों तथा वशिरामगृहों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये और इन पर सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिये।
- चुनावी घोषणापत्र:
 - भारतीय नरिवाचन आयोग का नरिदेश है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी चुनाव (संसद/राज्य विधानमंडल) के लिये चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय नमिनलखिति दशा-नरिदेशों का पालन करना आवश्यक है:
 - इस चुनाव घोषणापत्र में संविधान में नहिति आदर्शों और सदिधांतों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा।
 - राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिये जिनसे चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता धूमलि होने या मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने की संभावना हो।
 - घोषणापत्र में वादों के औचित्य को प्रतिबिंबित करना चाहिये और इसके लिये वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों एवं साधनों को व्यापक रूप से इंगति करना चाहिये।
 - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत एकल या बहु-चरणीय चुनावों के लिये नरिधारित प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान घोषणापत्र जारी नहीं किया जाएगा।

MCC में कुछ हालिया परिवर्द्धन:

- ECI द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान **ओपनिथिन पोल और एगजटि पोल** का वनियमन।
- मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले **प्रटि मीडिया में वजिज़ापनों पर प्रतिबंध** जब तक कि विषय-वस्तु स्क्रीनिंग समितियों द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो।
- चुनाव अवधि के दौरान **राजनीतिक पदाधिकारियों की विशेषता** वाले सरकारी वजिज़ापनों पर प्रतिबंध।

MCC कानूनी रूप से लागू करने योग्य:

- **हालाँकि MCC के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है**, लेकिन नरिवाचन आयोग द्वारा इसके सख्त प्रवर्तन के कारण पछिले एक दशक में इसने शक्ति हासिल की है।
 - MCC के कुछ प्रावधानों को **IPC 1860, CrPC 1973 और RPA 1951** जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है।
- वर्ष 2013 में कार्मिक, लोक शकियात, कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने MCC को कानूनी रूप से बाध्यकारी तथा RPA 1951 का हसिसा बनाने की सफिरशि की।
- हालाँकि ECI इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के खिलाफ है। इसके अनुसार, चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय या 45 दिनों के करीब पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि न्यायिक कार्यवाही में सामान्यतः अधिक समय लगता है, इसलिये इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाना संभव नहीं है।

MCC की आलोचनाएँ:

- कदाचार पर अंकुश लगाने में अपरभावी:

- MCC हेट स्पीच, फेक न्यूज़, धन बल, बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराने-धमकाने और हसिया जैसी चुनावी कदाचारों को रोकने में वफिल रही है।
- ECI को नई प्रौद्योगिकियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा भी चुनौती दी जाती है जो **गलत सूचना को तीव्र रूप से** फैलाने तथा उसका व्यापक रूप से प्रसार करते हैं।
- कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव:
 - MCC, वैदयानकि रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ नहीं है, वह अनुपालन के लिये केवल नैतिक अनुनय और जनमत पर नरिभर करती है।
- शासन के साथ हस्तक्षेप:
 - MCC नीतगित नरिणयों, सार्वजनकि वयय, कल्याणकारी योजनाओं, स्थानांतरण और नयिकृतयों पर प्रतबिंध लगाती है।
 - MCC को बहुत जल्दी या बहुत देर से लागू करने, वकिस गतविधियों और सार्वजनकि हति को प्रभावति करने के लिये ECI की अक्सर आलोचना की जाती है।
- जागरूकता और अनुपालन की कमी:
 - इसे व्यापक रूप से मतदाताओं, उम्मीदवारों, पार्टयों और सरकारी अधिकारयों द्वारा नहीं समझा जाता है।

UPSC [?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?]

[?][?][?][?] [?][?][?][?]:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय नकिय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलय से संबंधति वविादों का समाधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

[?][?][?][?] [?][?][?][?]:

प्रश्न. आदर्श आचार संहति के वकिस के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

[स्रोत: द हदि](#)